



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28122021-232199
CG-DL-E-28122021-232199

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5024]
No. 5024]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 28, 2021/पौष 7, 1943
NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 28, 2021/PAUSA 7, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 दिसम्बर, 2021

का.आ. 5419(अ).— केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 109 की उपधारा (3) तथा धारा 110 की उप-धारा (1) के खंड (ट) के साथ पठित केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989 के नियम 124 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित भारत सरकार के तत्कालीन पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय(सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग) की अधिसूचना संख्या का.आ. 1365(अ), तारीख 13 दिसम्बर, 2004 का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:

उक्त अधिसूचना की सारणी में,-

(i) क्रम संख्या 26 और उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखी जाएंगी :-

"26	(क) इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन वाहन-संनिर्माण और क्रियात्मक सुरक्षा अपेक्षाएं (ख) इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन वाहन के लिए विशिष्ट अपेक्षाएं (ग)एल प्रवर्ग इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन वाहन के लिए विशिष्ट अपेक्षाएं	एआईएस- 038 (रेव. 1) /2015, समय-समय पर यथा- संशोधित मानक एआईएस- 038 (रेव. 2) /2020, समय-समय पर यथा- संशोधित मानक एआईएस- 156 /2020, समय-समय पर यथा- संशोधित मानक	1 अक्तूबर, 2016 और 26(ख) तथा 26(ग) के क्रियान्वयन की तारीख तक वैध अधिसूचना की तारीख से बारह मास अधिसूचना की तारीख से बारह मास।";
-----	--	--	--

(ii) क्रम संख्या 49 और उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखी जाएंगी:-

“49	वाहन प्रचालित बैटरी में प्रयुक्त ट्रकशन बैटरियाँ	एआईएस- 048 /2009, समय-समय पर यथा- संशोधित मानक	1 अक्टूबर, 2013 और 26(ख) तथा 26(ग) के क्रियान्वयन की तारीख तक वैध।”
-----	--	--	---

[फा.सं.आर टी-11036/17/2021-एमवीएल]

अमित वरदान, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- II, खंड-3, उप-खंड (ii) में अधिसूचना संख्या का.आ. 1365, तारीख 13 दिसंबर, 2004 और अधिसूचना संख्या का.आ. 2914, तारीख 22 जुलाई, 2021 द्वारा अंतिम संशोधन किया गया।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th December, 2021

S.O. 5419(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 109 and clause (k) of sub-section (1) of section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), read with sub-rule (1) of rule 124 of the Central Motor Vehicles Rules, 1989, the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways) number S.O. 1365(E), dated the 13th December, 2004, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), namely:-

In the said notification, in the Table,-

(i) for serial number 26 and entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:-

“26	(a) Electric Power Train Vehicles – Construction and Functional Safety Requirements.	AIS-038 (Rev. 1) / 2015, as amended from time to time.	1 st October, 2016 and valid upto date of implementation of 26 (b) and 26 (c).
	(b) Specific Requirements for Electric Power Train of Vehicles.	AIS-038 (Rev. 2) / 2020, as amended from time to time.	Twelve months from date of notification.
	(c) Specific Requirements for L Category Electric Power Train Vehicles.	AIS-156 /2020, as amended from time to time.	Twelve months from date of notification.”;

(ii) for serial number 49 and entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:-

“49	Traction batteries used in Battery operated vehicles.	AIS-048- 2009, as amended from time to time.	1 st October, 2013 and valid up to date of implementation of 26 (b) and 26 (c).”.
-----	---	--	--

[F. No. RT-11036/17/2021-MVL]

AMIT VARADAN, Jt. Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide notification number S.O. 1365(E), dated the 13th December, 2004 and last amended vide notification number S.O. 2914(E), dated the 22nd July, 2021.